



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082024-256492
CG-DL-E-20082024-256492

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 212]
No.212]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 2024/श्रावण 29, 1946
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2024/SHRAVANA 29, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

1 koitfud 1puk

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2024

I- 17@2024

fo"K; % cfØ; k iLrd 2023 d ijk 10-06 e i'kkèku d i'c/k eA

Qk- I- 01@77@171@025@, ,e23@b i h%, I %.—समय—समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.03 और 2.01 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार (डीजीएफटी) प्रक्रिया पुस्तक, (एचबीपी) 2023 के अध्याय 10 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

ijk 10-06 %III% dk ek t nk i kB	ijk 10-06 %III% dk i'kkfèkr i kB
virje=ky; h dk; i leg %vkb, eMCY; i t h%	virje=ky; h dk; i leg %vkb, eMCY; i t h%
III. जब एक मामला आइएमडब्ल्यूजी बैठक में आस्थगित किया गया हो और तदोपरांत सभी संबंधित अभिकरणों से टिप्पणियां/विचार/अनापत्ति प्रमाण पत्र (पत्रों) विचारों की किसी असहमति के बिना प्राप्त होते हैं तो अध्यक्ष, आइएमडब्ल्यूजी के अनुमोदन से प्राधिकार-पत्र जारी किया जाएगा और मामले को कार्योत्तर आधार पर	III. जब एक मामला आइएमडब्ल्यूजी बैठक में आस्थगित किया गया हो और तदोपरांत सभी संबंधित अभिकरणों से टिप्पणियां/विचार/अनापत्ति प्रमाण पत्र (पत्रों) विचारों की किसी असहमति के बिना प्राप्त होते हैं तो अध्यक्ष, आइएमडब्ल्यूजी अथवा अध्यक्ष/डीजीएफटी द्वारा नामित कोई अधिकारी (उप महानिदेशक विदेश

i jk 10-06 %III% dk ek t nk ikB	i jk 10-06 %III% dk l'kkfêkr ikB
अनुमोदन हेतु आइएमडब्ल्यूजी के समक्ष इसकी अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।	व्यापार/अवरसचिव के पद से नीचे नहीं) के अनुमोदन से प्राधिकार-पत्र जारी किया जाएगा और ऐसे मामले को कार्योत्तर आधार पर अनुमोदन हेतु आइएमडब्ल्यूजी के समक्ष इसकी अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

b| lko tfud l|puk dk iHkko% प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 10.06 (III) को स्कोमेट के तहत प्राधिकार पत्र के अनुमोदन के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन में परिवर्तनों को अधिसूचित करने के लिए संशोधित किया गया है, जहां विचारों में किसी भी असहमति के बिना सभी संबंधित अभिकरणों से टिप्पणियां/विचार/अनापत्ति प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) प्राप्त होते हैं।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

Public Notice

New Delhi, the 14th August, 2024

No. 17/2024

Subject:- Amendment in the Para 10.06 of Handbook of Procedure 2023- reg

F. No. 01/77/171/025/AM23/EC(S).—In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023 as amended from time to time, the Directorate General of Foreign Trade (DGFT) hereby makes the following amendment to Chapter 10 of Handbook of Procedures (HBP) 2023 with immediate effect:

Existing text of Para 10.06(III)	Revised text of Para 10.06(III)
Inter Ministerial Working Group (IMWG) III. Where a case has been deferred in the IMWG meeting and subsequently comments/views/NOC(s) are received from all concerned agencies with no divergence in views, authorisation shall be issued with the approval of Chairman, IMWG and the case shall be brought before IMWG in its subsequent meeting for approval on ex-post facto basis.	Inter Ministerial Working Group (IMWG) III. Where a case has been deferred in the IMWG meeting and subsequently comments/views/NOC(s) are received from all concerned agencies with no divergence in views, authorization shall be issued with the approval of Chairman, IMWG or any officer nominated by Chairman/DGFT (not below the rank of Deputy Director General of Foreign Trade/Under Secretary) and such cases shall be brought before IMWG in its subsequent meeting for approval on ex-post facto basis.

Effect of this Public Notice: Para 10.06(III) of HBP 2023 has been amended to notify the changes in the delegation of powers for approval of authorizations under SCOMET where comments/views/NOC(s) are received from all concerned agencies with no divergence in views.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-officio Addl. Secy.